11/3/25.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। उभयपक्षकारान की वाद-पत्र पर बहस सुने एक माह से अधिक का समय हो गया। वाद-पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पर पुनः बहस सुनी गयी है। प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जा रहा है। तनकी सं. 1 लगायत 3 की सह-सम्बद्धता के कारण एक साथ निर्णीत किया जा रहा है
	Sd/-

सहायक कलक्टर ... शहर ...

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय — बनाम

ओमप्रकाश — नारायण सिंह वगैरह

विशेष संख्या 53/2012

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	11/3/25	वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वाद के चरण सं-1 में उल्लेखित भूमि खसरा नं 790 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 794 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं 798 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 799 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 801 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 804 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 805 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा पर विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं-1 व 2, वादी के पड़ोसी एवं	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम   बनाम

दिलीपकुमार / नारायण सिंह वगै०

केस संख्या वाद 53/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जोड़ सींव काश्तकार है। वादी ने वाद के चरण सं० - 6 में दिनांक 23/5/2012 की एक घटना से इस वाद के लिए वाद-कारण उत्पन्न होना दर्शाया है।
		वादी का यह भी कथन है कि वादी ने अपने खातेदारी व कब्जे-काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी दिनांक 29.10.2004 व 30.10.2004 को करवायी थी। प्रतिवादी, उक्त पत्थरगढ़ी में निर्धारित सीमाओं में से खसरा नं. 790 व खसरा नम्बर 794 की सीमाओं में दखल अंदाजी करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

बनाम

[illegible] / [illegible] सिंह को

(न्या)यालय

(सं)ख्या [illegible] 53/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
11.3.25	किया जावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2067 – 70, खाता सं० 26, ग्राम - कालवाड़, तह० जयपुर पेश की है, जिसे प्रदर्श-1 के रूप में पत्रावली में शामिल किया गया है। उक्त दस्तावेज से साबित है कि वादी विवादित भूमि का दर्ज रिकॉर्ड खातेदार अधिकारी है। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया है, जिसे पत्रावली पर साक्ष्यवादी सं–1 (PW-1) के रूप में शामिल किया गया है। साक्ष्यवादी ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र में वाद के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि वह विवादित	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

ओमप्रकाश / बनाम नारायण सिंह वगै.

केस संख्या 6 ... 53/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		भूमि का दर्ज रिकॉर्ड काश्तकार है एवं उस पर काबिज काश्त है। साक्ष्यवादी की प्रति-परीक्षा की गयी, जिसमें कोई उल्लेखनीय तथ्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। वादी ने दूसरा मौखिक साक्ष्य मुकेश कुमार पुत्र लालाराम उम्र- 35 वर्ष पेशा ... किया है, जिसने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया है कि मेरे पिताजी लालाराम करीब 35-36 वर्षों से उक्त भूमि पर रखवाली करते थे। उक्त भूमि ओमप्रकाश व राधादेवी की है। प्रतिवादी नारायण सिंह का कोई सम्बन्ध-सरोकार नहीं है। साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में कोई उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

अशोक कुमार बनाम नारायण सिंह वगैरह

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

यालय
ख्या

प्रकरण - 53/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
11.3.25	प्रतिवादी ने उपर्युक्त तीनों तनकियों के प्रतिरक्षण में मौखिक साक्ष्य स्वरूप जब स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र एवं जबावदावा पेश किया है। जबावदावे में प्रतिवादी सं-1 का कथन है कि खसरा नं. 790 एवं खसरा नं. 795 पर वादी का कब्जा नहीं है। खसरा नं. - 790 के उत्तर में प्रतिवादी-1 काबिज काश्त है। इसी प्रकार खसरा नं. - 795 के पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी-1 काबिज काश्त है। दोनों खसरों के कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादी -1 काबिज काश्त है। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र में जबावदावे के तथ्यों को पुनः दोहराया है। साक्ष्य प्रतिवादी की प्रति- परीक्षा की गयी।	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

...ालय

...या

फर्द अहकाम

बनाम

कौशल्या/ नारायण सिंह ...

प्रकरण - 53/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
11/3/25	प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श D-1 से D-4 पेश किए हैं। वाद, जबावदावा, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी की दर्ज रिकॉर्ड काश्तकारी भूमि है। वादी ने सशपथ साक्ष्य स्वरूप कथन किया है कि विवादित भूमि पर कब्जे- काश्त है। वादी की ओर से उपस्थित स्वतंत्र गवाह ने भी विवादित भूमि पर वादी के कब्जे की पुष्टि की है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने सशपथ कथन किया है कि खसरा नं. 790 आंशिक एवं खसरा नं. 794 आंशिक पर वह काबिज काश्त है। सारतः विवादित भूमि में से

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

छोटेलाल बनाम नारायण सिंह को

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

संख्या 647 - 33/2012

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	11.3.25	खसरा नम्बर 790 एवं खसरा नम्बर 794, को छोड़कर शेष पर वादी का रिकॉर्डेड काश्तकार एवं कब्जे काश्त होना पूर्णतया साबित है। अतः खसरा नं. 790 एवं खसरा नं. 794 को छोड़कर शेष विवादित भूमि पर, तनकी सं-1 से 3, वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है। ~~अतः~~ खसरा नं. 790 एवं 794 पर प्रतिवादी सं-1 का कब्जा संदेह से परे साबित नहीं होने से तनकी सं- (4), प्रतिवादी सं-1 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है। **आदेश** विवादित भूमि में से खसरा नं. 790 व 794 को छोड़कर शेष भूमि पर प्रतिवादी गणों को	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

ओमप्रकाश / नारायणसिंह के

...ाम न्यायालय

...केस संख्या दावा 53/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	11/3/25	स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में दखल अंदाजी नहीं करे, किसी प्रकार से अतिक्रमण व निर्माण नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। फैसला आज दिनांक 11.03.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम